भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश

जनपद– अलीगढ़

प्रधानाचार्य कार्यशाला

दिनांक– 27 सितम्बर, 2023 दिन– बुधवार

स्थान– रतन प्रेम डी०ए०वी० बालिका इण्टर कॉलेज, अलीगढ़

महोदय / महोदया,

बड़े हर्ष का विषय है कि भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्देशित प्रधानाचार्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

इस कार्यशाला का उद्देश्य स्काउट–गाइड को बढ़ावा देना है तथा इस चर्चा–परिचर्चा का उद्देश्य प्रधानाचार्य एंव स्काउट–गाइड के पदाधिकारीयों के बीच एक संवाद स्थापित करना है। जैसा कि हमें विदित है कि हम सभी स्काउट–गाइड के बारे में बहुत कुछ जानते है। परन्तु फिर भी इस ज्ञान रूपी श्रृंखला की कुछ कड़िया व्यवस्थित न होनें के कारण उसका कियान्वयन सुचारू एंव सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाता है। इन्हीं कुछ बिन्दुओं पर हम चर्चा–परिचर्चा के लिए आज उपस्थित हुए है।

<u>सर्वप्रथम परिचय</u> – वर्तमान में स्काउट–गाइड संगठन विश्व के 216 देशों में संचालित है विश्व के लगभग 5 करोड़ सदस्यों के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी सकिय संगठन है। स्काउट–गाइड आन्दोलन 03 से 25 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं एंव युवक–युवतियों के लिये मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण एंव गतिविधियां उपलब्ध कराता है जो उनके सर्वांगीण विकास को गतिमान करते हुए समुदाय एंव देश के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनाने में मदद करता है। बालक के सम्पूर्ण विकास की चार अवस्थाएं होती है।

1	2	3	4
3–5 वर्ष	5–10 वर्ष	10–16 वर्ष	16–25 वर्ष

जहॉ बालक सीख सकता है अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है और सम्पूर्ण विकास कर सकता है सम्पूर्ण विकास को चार वर्गो में वगीकृत किया जा सकता है।

1	2	3	4
शारीरिक विकास	चरित्रिक विकास	अध्यात्मिक विकास	कौशल विकास

इन सभी का विकास शिक्षण, प्रशिक्षण एंव खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा किया जाता है।

सर्वप्रथम स्काउट–गाइड की शुरूआत 1907 ई0 में 29 जुलाई, 1907 से 9 अगस्त, 1907 तक ब्राउन्सी द्वीप लन्दन मे प्रयोगात्मक शिविर के साथ हुई।

1908 में ''स्काउटिंग फॉर बॉयज'' का प्रकाशन हुआ। शीघ्र ही 1910 में लार्ड बेडेन पावेल की बहन मिस एगनिस पावेल की सहायता से लड़कियों के लिए गाइडिंग की शुरूआत की गयी। स्काउटिंग–गाइडिंग के जनक राबर्ट स्टीफेन्सन स्मिथ बेडेन पावेल का जन्म 22 फरवरी, 1857 को हुआ बेडेन पावेल बचपन से ही कुशल चित्रकार, संगीकार, अभिनय में प्रवीण थे। एक सैनिक अधिकारी के रूप में विभिन्न अवसरों पर इन्होंने अनुभव किया कि बच्चों में अदम्य साहस, कौशल, मानवीय गुणों का विकास कर उन्हें समाज के लिये उपयोगी एंव देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है। अफ्रीका में बीअर जातियों के लिये युद्ध में इन्होंने सर्वप्रथम बच्चों का 'इनर लाइजर' के रूप में बखूबी इस्तेमाल किया जो स्काउटिंग के जन्म का बीज रूप था।

भारत में स्काउटिंग का प्रवेश 1909 में एंव गाइडिंग का प्रारम्भ 1911 में हो गया था। परन्तु भारतीय बच्चों के लिये यहॉ इसमें प्रवेश नहीं था। अतः भारतीयों में श्रीमती एनी बेसेन्ट, पं0 मदन मोहन मालवीय, श्रीराम बाजपाई, जी0एस0 आशुतोष आदि के अथक प्रयास से स्काउटिंग द्वारा सहयोगी कार्य किये गये। स्वतंत्र भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा0 हृदय नाथ कुंजरू, डी0ई0 महावस आदि के सहयोग से 7 नवम्बर, 1950 को ''भारत स्काउट और गाइड'' नाम से एक संस्था बनी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है इसके प्रथम राष्ट्रीय कमिश्नर डा0 हृदय नाथ कुंजरू एंव प्रथम राष्ट्रीय संगठन कमिश्नर श्रीराम बाजपाई तथा प्रथम राष्ट्रीय सचिव श्री जानकी शरण वर्मा थे।

इस प्रकार स्काउट–गाइउ का संक्षिप्त इतिहास एंव उद्देश्य की सामान्य बोध के पश्चात् कार्यशाला के उद्देश्यों को पूरा करनें हेतु विभिन्न निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करना समीचीन एंव अपरिहार्य है।

1. वर्षिक कार्यकम की रूपरेखा
2. यूनिट का पंजीकाण

3. नवीनीकरण एंव अंशदान

4. यूनिट प्रशिक्षक की स्थिति, व्यस्क प्रशिक्षण

5. प्रगतिशील कार्यक्रम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय सोपान, राज्य एंव राष्ट्रपति पुरस्कार)

6. एक जनपद एक गतिविधि

7. ऑनलाइन यूथ मेंबरशिप पोर्टल

8. सर्वोत्तम कैडेट रैली, बी0एस0जी0 ज्ञान प्रतियोगिता

9. विशेष शिविर (नेचर स्टडी, ट्रेकिंग, मैपिंग व अन्य कैम्प)

10. अलंकरण एंव पुरस्कार

इसो कम में समस्त प्रधानाचार्यो के जानने योग्य कुछ आवश्यक जानकारीयां निम्नलिखित हैं इस जानकारीं के माध्यम से स्काउट दल/गाइड कम्पनी का संचालन और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

- जनपद अलीगढ़ के समस्त विद्यालय जहॉ स्काउट–गाइड गतिविधियों को संचालित कराया जाना है उन सभी को भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, जिला संस्था अलीगढ़ के माध्यम से स्काउट दल/गाइड कम्पनी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस हेतु पंजीकरण फार्म जिला मुख्यालय बाबू लाल जैन इण्टर कॉलेज अलीगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है तथा पंजीकरण फार्म भारत स्काउट आर गाइड, उ0प्र0 एंव जनपद अलीगढ़ की बेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पंजीकरण की प्रकिया को आप अपने तहसील क्षेत्र के ट्रेनिंग काउंसलर तथा जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) के माध्यम से पूर्ण करा सकते है।

- जनपद अलीगढ़ के समस्त पंजीकृत विद्यालयों के द्वारा प्रत्येक वर्ष स्काउट दल/गाइड कम्पनी का अद्यतन नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। अद्यतन नवीनीकरण ना होनें की स्थिति उस विद्यालय में स्काउट–गाइड की गतिविधियां संचालित नहों की जा सकेंगी ऐसी स्थिति में जिला संस्था एंव प्रादेशिक संस्था आपके विद्यालय के स्काउट्स एंव गाइड्स द्वारा किये गये प्रगतिशील कार्यकमों को प्रमाणित नहीं करेगी और ना ही कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसलिये प्रत्येक वर्ष स्काउट दल/गाइड कम्पनी का अद्यतन नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

- जनपद अलीगढ़ के समस्त पंजीकृत विद्यालय जिनमें स्काउट–गाइड की गतिविधियां संचालित की जा रही है ऐसे सभी विद्यालयों में कम से कम एक या दो शिक्षक

बेसिक/एडवांस अथवा उच्चतर स्काउट/गाइड ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एंव अधिकार पत्र धारित होना चाहिए। निर्धारित योग्यता का प्रमाण पत्र एंव अधिकार पत्र ना होनें की स्थिति में स्काउट/गाइड गतिविधियों को संचालित/प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 एंव जिला संस्था द्वारा समय–समय पर शिक्षकों के लिये विभिन्न ट्रेनिंग कोर्सो का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है जिसका लाभ आपके द्वारा उठाया जा सकता है।

- जनपद अलीगढ़ के समस्त पंजीकृत विद्यालय जहॉ स्काउट–गाइड गतिविधियां संचालित है ऐसे सभी विद्यालयों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 से पूर्व दल/कम्पनी/स्काउट/गाइड/स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टन को ऑनलाइन यूथ मेंबरशिप (O Y M S) पोर्टल पर पंजीकृत कर यूनिक आइडेन्टिटी (UID) नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है। सत्र– 2023–24 में किसी भी प्रशिक्षण संबंधित कार्यकम में भाग लेंने के लिये यूआईडी नम्बर होना अनिवार्य ह बिना यूआईडी नम्बर के आप प्रशिक्षण कार्यकम में भाग लेंने से वंचित हो सकते है। (UID) पंजीयन www.uat.bsgindia.org/login बेबसाइट द्वारा तथा जिला आई0टी0 सेल के सहयोग से कराया जा सकता है।

- प्रत्येक स्काउटर/गाइडर यह सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय का अंशदान एंव नवीनीकरण अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से जमा करा दिया जाए। जिसकी जमा की सूचना/रसीद की प्रति जिला प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) श्रीमती ज्योति भार्गव जी के मोबाईल नम्बर 9456405747 पर अनिवार्य रूप से वाहट्सएप के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। जिला संस्था के पास वार्षिक अंशदान एंव अद्यतन नवीनीकरण की सूचना अपडेट/उपलब्ध ना होने की स्थिति में प्रथम, द्वितीय, तृतीय सोपाना एंव राज्य पुरस्कार आदि में भाग लेनें से आपके स्काउट/गाइड वंचित रहेंगे।

- <u>स्काउट/गाइड प्रशिक्षण सम्बंधित ध्यान देंने योग्य कुछ आवश्यक बाते निम्नलिखित है :–</u>

<u>प्रवेश– स्काउट/गाइड :–</u>

- स्काउट/गाइड में प्रवेश लेंने वाले किसी भी बालक/बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम अथवा 17 वर्ष से अधिक न हों।

दीक्षा– स्काउट / गाइड :–

- स्काउट / गाइड प्रवेश पाठ्यक्रम की अवधि 3 माह है, जिसके उपरान्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंने के पश्चात् शीघ्र–अतिशीघ्र विद्यालय स्तर पर एक या दो दिन के भीतर प्रत्येक स्काउट / गाइड का दीक्षा संस्कार आयोजित कराया जाना चाहिए।

प्रथम सोपान– स्काउट / गाइड :–

- स्काउट / गाइड प्रथम सोपान पाठ्यक्रम की अवधि 3 माह है, जिसकी गणना दीक्षा संस्कार की तिथि से की जाएगी। इस शिविर का आयोजन विद्यालय स्तर पर (न्यूनतम बेसिक एंव अधिकार पत्र प्राप्त) योग्ताधारित प्रशिक्षक के माध्यम से ही किया जाएगा एंव ध्यान रहें कि प्रथम सोपान करायें जानें की सूचना मय विवरण जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) को आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। शिविर आयोजन की सूचना ना दिये जाने की स्थिति में शिविर को अमान्य मानते हुए प्रमाण पत्र जारी करने पर जिला संस्था द्वारा रोक लगाये जाने की कार्यवाही की जाएगो।

द्वितीय सोपान– स्काउट / गाइड :–

- स्काउट / गाइड द्वारा प्रथम सोपान जॉच परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् द्वितीय सोपान पाठ्यक्रम अवधि 6 माह है, इस शिविर का आयोजन विद्यालय स्तर पर (न्यूनतम बेसिक एंव अधिकार पत्र प्राप्त) योग्ताधारित प्रशिक्षक के माध्यम से ही किया जाएगा एंव ध्यान रहें कि द्वितीय सोपान करायें जानें की सूचना मय विवरण जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) को आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। शिविर आयोजन की सूचना ना दिये जाने की स्थिति में शिविर को अमान्य मानते हुए प्रमाण पत्र जारी करने पर जिला संस्था द्वारा रोक लगाये जाने की कार्यवाही की जाएगो।

तृतीय सोपान– स्काउट / गाइड :–

- स्काउट / गाइड द्वारा द्वितीय सोपान जॉच परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से 6 माह पश्चात् तृतीय सोपान के लिये पात्र होगा। तृतीय सोपान जॉच शिविर तहसील एंव जिला स्तर पर जिला संस्था के माध्यम से आयोजित किया जाता है। तृतीय सोपान में भाग लेने वाले स्काउट / गाइड की आयु सामान्यतः 13 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।

राज्य पुरस्कार– स्काउट / गाइड :–

- स्काउट/गाइड द्वारा तृतीय सोपान जॉच परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने की तिथि से 9 माह पाश्चात् राज्य पुरस्कार के लिये आवेदन किया जाना चाहिए। राज्य पुरस्कार जॉच शिविर प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा मण्डल स्तर पर आयोजित किया जाता है। राज्य पुरस्कार के लिये आवेदन करनें वाले स्काउट्स/गाइड्स की उम्र 17 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रपति पुरस्कार– स्काउट/गाइड :–

- स्काउट/गाइड द्वारा राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण होनें की तिथि से 12 माह के पश्चात् राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये आवेदन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पुरस्कार प्री/जॉच शिविर का आयोजन राष्ट्रीय मुख्यालय से प्रादेशिक मुख्यालय को प्राप्त दिशा निर्देशों के कम किया जाता है।

- स्काउट/गाइड दक्षता पदक सम्बंधित ध्यान देंने योग्य कुछ आवश्यक बातें निम्नलिखित है :–

द्वितीय सोपान दक्षता पदक– स्काउट/गाइड :–

- द्वितीय सोपान हेतु निर्धारित दो या तीन दक्षता पदक (ए0पी0आर0ओ0 भाग 2 का 11(10) के अनुसार।

द्वितीय सोपान दक्षता पदक – 1. साइकीलिस्ट 2. गार्डनर

तृतीय सोपान दक्षता पदक– स्काउट/गाइड :–

- तृतीय सोपान हेतु निर्धारित दो दक्षता पदक ग्रुप 'अ' से एक व ग्रुप 'ब' से एक (ए0पी0आर0ओ0 भाग 2 का 11(10) के अनुसार।

तृतीय सोपान दक्षता पदक – ग्रुप 'अ'– 1. समुदायिक कार्यकर्ता

ग्रुप 'ब'– 1. बुक बाइण्डर

अन्य – 1. डे हाइक

राज्य पुरस्कार दक्षता पदक– स्काउट/गाइड :–

- राज्य सोपान हेतु निर्धारित दक्षता पदक (ए0पी0आर0ओ0 भाग 2 का 13(8) के अनुसार।

राज्य पुरस्कार अनिवार्य दक्षता पदक – 1. एम्बुलेंस मैन

राज्य पुरस्कार दक्षता पदक — 1. साक्षरता 2. स्वच्छता उन्नायक 3. सुरक्षा

- राज्य सोपान हेतु निर्धारित दक्षता पदक (ए0पी0आर0ओ0 भाग 2 का 13(9) के अनुसार।

राज्य पुरस्कार दक्षता पदक — 1. प्राकृतिज्ञ 2. इलेक्ट्रिशियन

अन्य — 1. नाइट हाइक

नोट :— उपरोक्त सभी दक्षता पदक जिला बैज समिति के परीक्षकों द्वारा परीक्षण के उपरान्त उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद जिला संस्था द्वारा प्रदान किये जाते है।

नमूना जन्मतिथि उपरोक्त प्रशिक्षण के लिये स्काउट–गाइड की आयु की गणना हेतु :–

1. माना यदि जन्मतिथि	—	01.07.2008 है,
2. दल/कम्पनी में सम्मिलित होने की तिथि	—	02.07.2018 या पश्चात में,
3. प्रवेश परीक्षा/दीक्षा की तिथि	—	03.10.2018 या पश्चात में,
4. प्रथम सोपान की तिथि	—	04.04.2019 या पश्चात में,
5. द्वितीय सोपान की तिथि	—	05.10.2019 या पश्चात में,
6. तृतीय सोपान की तिथि	—	06.04.2020 या पश्चात में,
7. राज्य पुरस्कार की तिथि	—	07.01.2021 या पश्चात में,
8. राष्ट्रपति पुरस्कार की तिथि	—	08.01.2022 या पश्चात में,

!! धन्यवाद !!

(आई0टी0 सेल भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, जनपद– अलीगढ़)

:: भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश कल्याण कोष ::

भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश के वारण्टधारी पदाधिकारियों, वैतनिक अधिकारीयों जिनका विवरण ऑनलाइन यूथ मेंबरशिप पोर्टल पर दर्ज हो एंव उनका यूआईडी नम्बंर निर्गत हो चुका हो उन सभी के लिये दुर्घटना मृत्यु, गम्भीर शारीरिक क्षति अथवा विशेष रूप से अवैतनिक सकिय सदस्यों को एंव अन्य कार्यो या प्रायोजनों हेतुक में देय होगा।

:: चीफ कमिश्नर फेलोशिप ::

स्काउटिंग–गाइडिंग के क्षेत्र में समाज सेवा एंव विकास को प्रोत्साहित करनें के लिए पर्यावरण, समाजिक एंव शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 6 सदस्यों का दल होगा जिसमें यूनिट लीडर भी सम्मलित है। इस हेतु दल/कम्पनी पंजीकृत एंव अद्यतन नवीनीकृत हो।

कार्य की अवधि 6 माह से 1 वर्ष तक तथा पुरस्कार की अधिकतम धनराशि एक लाख रूपय है। फेलोशिप की अधिकतम संख्या 10 होती है।

कार्य व्यवहारिक, उपयोगी, सभी वैज्ञानिक चरणों एंव प्रकियाओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

स्थानीय प्राप्त संसाधनो का उपयोग, मानवीय मूल्यों का विकास, अपवंचित को संवेदनशील तथा सशक्त बल, अन्तर व्यैक्तिक सम्बंधो का विकास करना आदि।

उक्त प्रोजेक्ट को 2 प्रतियों में तैयार कर जिला संस्था के माध्यम से प्रदेश संस्था को भेजा जाना चाहिए।

:: लक्ष्मी मजूमदार अवार्ड ::

श्रीमती लक्ष्मी मजूमदार नवम्बर 1964 से अप्रैल 1983 तक भारतीय स्काउटिंग संगठन भारत स्काउट और गाइड की राष्ट्रीय आयुक्त रहीं। 1965 में पद्म श्री से उन्हें पुरस्कृत किया गया। स्काउटिंग में इनके योगदान को देखते हुए भारत स्काउट और गाइड संस्था ने लक्ष्मी मजूमदार अवार्ड घोषित किया।

इसका उद्देश्य समुदायिक विकास को बढ़ावा देना है इसमें लाग टर्म प्रोजेक्ट, शार्ट टर्म प्रोजेक्त पर कार्य करना होता है। इसको निर्धारित प्रारूप पर जिला मुख्यायुक्त के माध्यम से मुख्यायुक्त भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 को पषित किया जाता है। अवधि एक वर्ष (1 अगस्त से 31 जुलाई) प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड

में अपना नामांकन करा लेना चाहिए। यह अवार्ड दल अथवा कम्पनी का सामूहिक कार्यकम पर देय होता है।

लाग बुक आवश्यक रूप से 30 सितम्बर तक राष्ट्रीय मुख्यायुक्त को प्रेषित हो जानी चाहिए। जिसमें विस्तार से समस्त गतिविधियां, प्रतिभागी सूची, फोटोग्राफ, न्यूज पेपर कटिंग, कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

:: प्रधानमंत्री शील्ड ::

अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित विजेता यूनिट को प्रमाण पत्र एंव प्रधानमंत्री शील्ड प्रदान की जाती है। इसको पदान करने का मुख्य उद्देश्य समुदायिक विकास प्रौढशिक्षा कार्यकम, स्काउट आन्दालन के प्रति नेक कार्य, स्वच्छता एंव पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र संरक्षण, सड़क सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, नशीले पदार्थ के सेवन के विरूद्ध अभियान प्रचालित अवांछनीय किआयो के पति जागरूकता आदि है।

कार्यकम की अवधि एक वष (1 जुलाई – 30 जून) के बीच निर्धारित उल्लेखित विषयों में दो का चयन तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यूनिट का योगदान – एक विषय अनिवार्य एंव दूसरा विषय– चयनित। प्रत्येक जिले से कम से कम दो यूनिट का चयन एंव पंजीकरण शुल्क 10/– प्रति प्रतिभागी यूनिट द्वारा देय है। पंजीकरण फार्म एंव शुल्क राष्ट्रीय मुख्यालय को मई माह के अंत तक पहुॅच जाना चाहिए ताकि जुलाई तक प्रतिभागी को लाग बुक एंव नियम पुस्तिका प्राप्त हो जाए। चयन निर्णायक मण्डल द्वारा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पी0एम0 शील्ड तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रमाण पत्र राष्ट्रीय आयुक्त द्वारा प्रदान किया जाता है तथा जिला बैज समिति द्वारा पी0एम0 शील्ड बैज प्रदान किया जाता है।

:: पुरस्कार एवं अलंकरण ::

स्काउट/गाइड तथा स्काउटर/गाइडर एवं पदाधिकारियों को प्रोत्साहन स्वरूप अलंकरण तथा पुरस्कार की व्यवस्था स्वीकृत तथा प्राधिकृत इस प्रकार है :–

1. <u>सेवा तारा</u> : (सर्विस स्टार) स्काउट/गाइड व स्काउटर/गाइडर की निरन्तर सेवा हेतु राज्य मुख्यायुक्त की संस्तुति पर प्रदान किये जाते है।

2. <u>विशिष्ट सेवा तारा</u> : 25 वर्ष से अधिक सेवा पर राज्य मुख्यायुक्त की संस्तुति पर प्रदान किया जाता है।

3. <u>शौर्य के लिए पुरस्कार</u> : स्काउट/गाइड तथा स्काउटर/गाइडर या ऐसे व्यक्ति जो अप्रशासकीय या अवैतनिक पद पर हो या सयुंक्त कार्यवाही की दशा में ग्रुप को प्रदान किया जाता है। राज्य मुख्यायुक्त को संस्तुति पर नेशनल कमिश्नर तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के परामर्श पर प्रदान किया जाता है।

4. <u>रजत तारा</u> : (सिल्वर स्टार) यह पुरस्कार वारंट प्राप्त तथा बिना वारंट प्राप्त वाले यूनिट लीडर अथवा पदाधिकारियों को 20 वर्ष की निरन्तर तथा विशेष उल्लेखनीय सेवा पर राज्य कार्यकारिणी समिति एवं राज्य मुख्यायुक्त की संस्तुति पर प्रदान किया जाता है ।

5. <u>रजत तारे पर पट्टी</u> : (बार टू दि सिल्वर स्टार) रजत तारे की प्राप्ति के कम से कम 5 वर्ष की अवधि के बाद अतिरिक्त सेवा पर प्रदान किया जाता है।

—:: <u>प्रदेश स्तर पर अलंकरण तथा पुरस्कार</u> :—

1. <u>धन्यवाद बैज</u> : आन्दोलन के सक्रिय स्काउट/गाइड या स्काउटर / गाइडर या अन्य वारंट प्राप्त सदस्यों के अलावा आन्दोलन के मित्र अथवा शुभचितन्कों को जिन्होंने आन्दोलन के लिए अपनी विशेष सेवाऐं अर्पित की है, उन्हें जिला मुख्यायुक्त एवं जिला आयुक्त की संस्तुति पर राज्य कार्यकारिणी समिति के परामर्श से प्रदान किया जाता है।

2. <u>दीर्घ कालीन सेवा अलंकरण</u> : यह पुरस्कार अधिकार—पत्र प्राप्त सदस्यों को जिन्होंने 10 वर्ष या अधिक विश्वसनीय तथा कार्य कुशलता से अपने पद पर सेवा की हो, जिला मुख्यायुक्त एवं जिला आयुक्त की संस्तुति पर राज्य मुख्यायुक्त द्वारा राज्य कार्यकारिणो के परामर्श से प्रदान किया जाता है।

3. <u>श्रेष्ठता पदक</u> : (मेडल ऑफ मेरिट) यह पुरस्कार वारंट प्राप्त तथा बिना वारंट प्राप्त वाले यूनिट लीडर, तथा पदाधिकारियों को आन्दोलन मैं कम से कम 10 वर्ष की सक्रिय तथा प्रशसनीय सेवा के लिए जिला मुख्यायुक्त एवं जिला आयुक्त की संस्तुति पर राज्य मुख्यायुक्त द्वारा राज्य कमिश्नर कार्यकारिणी समिति के परामर्श से प्रदान किया जाता है।

4. <u>श्रेष्ठता पदक पर पट्टी</u> : (बार टू दि मैडल ऑफ मेरिट) श्रेष्ठता पदक प्राप्ति के कम से कम 5 वर्ष की अवधि के पश्चात उसी प्रकार की सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

<u>उपरोक्त पुरस्कार के आवेदन पत्र वेवसाइट **www.bsgup.org** पर उपलबध है।</u>

!! धन्यवाद !!

(आई0टी0 सेल भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, जनपद— अलीगढ़)